

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरण्य

प्रकरण सं० : 04/2022

1. बिमला पत्नी अमीलाल उर्फ लालचन्द जाति जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।

:- वादीया

बनाम

1. दाताराम पुत्र गोविन्द जाति जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
2. जयसिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
3. विधा पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
5. मैना पुत्री देवीलाल जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
6. सरोज पुत्री अमीलाल उर्फ लालचन्द जाति जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
7. उर्मिला पुत्री अमीलाल उर्फ लालचन्द जाति जाट निवासी गुन्जासरी त० भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मीत की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मंजा गुन्जासरी के खाता सं० 14/56 के खसरा सं० 38 की 3.428 है० खसरा सं० 44 की 12.587 है० खसरा सं० 7 की 1.796 है० कुल 17.811 है० बरानी खातेदारों में मोहरा पत्नी गोविन्द के नाम से 3562/17811 हिस्सा अर्थात् 3.562 है० खातेदारी दर्ज है में से मोहरा पत्नी गोविन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर वादिया बिमला पत्नी लालचन्द 0.627 है० प्रतिवादी सं० 1 दाताराम 0.8905 है० प्रतिवादी सं० 2 जयसिंह 0.8905 है० प्रतिवादी सं० 3 ता 4 संयुक्त रूप से 0.8905 है० प्रतिवादीयां सं० 6 सरोज 0.1319 है० व प्रतिवादी सं० 7 उर्मिला 0.1319 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा, जिला हनुमानगढ़